

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च, 2018 सत्र में दिये गये आश्वासन
(फरवरी-मार्च, 2018 सत्र के स्थगित बैठक दिनांक : 28-03-2018 के आश्वासन)

ऊर्जा विभाग

दिनांक: 28-03-2018

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
527	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.41 (प्रश्न क्रं.5054) दि. 28-03-2018 (श्री हेमन्त सत्यदेव कटारे) (बैठक स्थगित - पटलित दिनांक : 25-06-2018)	भिण्ड जिले के विधान सभा क्षेत्र भिण्ड, अटेर, मेहगांव, गोहद एवं लहार में शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत उपकेन्द्रों की स्थापना तथा खराब/जले ट्रांसफार्मरों को बदला जाना।	उक्त कार्य आगामी तीन माह में कार्य पूर्ण कराया जाना संभावित है।		
528	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.45 (प्रश्न क्रं.5181) दि. 28-03-2018 (श्री सूबेदार सिंह रजौधा) (बैठक स्थगित - पटलित दिनांक : 25-06-2018)	मुरैना जिले की विधान सभा क्षेत्र जौरा में नवीन विद्युत उपकेन्द्रों को स्थापित करने हेतु आमंत्रित निविदाओं में प्राप्त न्यूनतम दरों की निविदा स्वीकृत न करने के संबंध में प्राप्त शिकायतों की जांच एवं कार्यवाही।	जी हों। ठेकेदारों से प्राप्त आपत्तियों/शिकायतों की जांच हेतु गठित उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा जांच पूर्ण कर ली गई है, जिसकी अनुशंसा का परीक्षण कर अग्रिम कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		
529	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.49 (प्रश्न क्रं.5357) दि. 28-03-2018 (श्री गिरीश गौतम) (बैठक स्थगित - पटलित दिनांक : 25-06-2018)	प्रश्नकर्ता मा.सदस्य द्वारा कार्यपालन यंत्री म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. ईस्ट रीवा एवं जे.ई. गोविन्दगढ़ को उपभोक्ताओं के खराब मीटर को बदला जाना व देयक विद्युत बिल को समायोजित कर झूट प्रदान किये जाने संबंधी लिखे गये पत्रों पर कृत कार्यवाही से अवगत न कराने की जांच एवं कार्यवाही।	प्रकरण में विलंब के लिये जांच कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।		
530	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.80 (प्रश्न क्रं.5886) दि. 28-03-2018 (श्री नारायण सिंह पँवार) (बैठक स्थगित - पटलित दिनांक : 25-06-2018)	राजगढ़ जिले के विधान सभा क्षेत्र ब्यावरा के अंतर्गत फीडर विभक्तिकरण विद्युतीकरण का कार्य समय पर पूर्ण न करने वाले ठेकेदार एजेंसी के विरुद्ध नियमानुसार पेनाल्टी राशि काटी जाना एवं शेष कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण की जाना।	उत्तरांश (क) में दर्शाए अनुसार कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण नहीं किये जाने के कारण ठेकेदार एजेंसी के बिलों से नियमानुसार लिक्विडेटेड डैमेज के रूप में पेनाल्टी स्वरूप राशि काटी जाएगी। शेष कार्य जून 2018 तक पूर्ण कराए जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
531	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.88 (प्रश्न क्रं.5960) दि. 28-03-2018 (श्री यशपालसिंह सिसौदिया) (बैठक स्थगित - पटलित दिनांक : 25-06-2018)	उज्जैन एवं भोपाल राजस्व संभाग अंतर्गत 01 अप्रैल 2016 से प्रश्न दिनांक की अवधि में घटित विद्युत दुर्घटनाओं के शेष लंबित प्रकरणों की शीघ्र जांच कराकर मृतक के निकटतम परिजनों को पात्रता अनुसार मुआवजा दिया जाना ।	उज्जैन एवं भोपाल राजस्व संभाग में घटित विद्युत दुर्घटनाओं के शेष प्रकरणों में दुर्घटनाओं के कारणों की जांच एवं परीक्षण कर पात्रता अनुसार मुआवजा राशि देने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		
532	अतारांकित प्रश्न सं.22 (प्रश्न क्रं.4524) दि. 28-03-2018 (श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह) (बैठक स्थगित - पटलित दिनांक : 25-06-2018)	भिण्ड जिले में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजनान्तर्गत ग्रामों एवं मजरो/टोलों में प्रावधानित कार्य प्रारंभ किया जाना ।	मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा विभागीय स्तर पर किये जाने वाले कार्यों की निविदा कार्यवाही प्रक्रियाधीन हैं ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च, 2018 सत्र में दिये गये आश्वासन
(फरवरी-मार्च, 2018 सत्र के स्थगित बैठक दिनांक : 28-03-2018 के आश्वासन)

जनजातीय कार्य विभाग

दिनांक: 28-03-2018

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
533	अतारांकित प्रश्न सं.19 (प्रश्न क्रं.4197) दि. 28-03-2018 (श्री अशोक रोहाणी) (बैठक स्थगित - पटलित दिनांक : 25-06-2018)	जबलपुर जिले में जनजातीय कार्य विभाग द्वारा वर्ष 2014-15 से 2017-18 तक आवास सहायता योजनान्तर्गत पात्रतानुसार कार्यवाही पूर्ण किये गये छात्र-छात्राओं को आर्थिक सहायता की राशि का भुगतान किया जाना।	वर्ष 2017-18 के छात्र-छात्राओं का भुगतान प्रक्रिया में है।		
534	अतारांकित प्रश्न सं.72 (प्रश्न क्रं.5880) दि. 28-03-2018 (श्री रामपाल सिंह) (बैठक स्थगित - पटलित दिनांक : 25-06-2018)	अनूपपुर जिले में छात्रावासों के लिए नियमों के विरुद्ध सामग्री क्रय करने में प्रथम दृष्टया दोषी श्री पी.एन. चतुर्वेदी सहायक आयुक्त आदिवासी विकास अनूपपुर के विरुद्ध जांच निष्कर्ष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	जी हों। आयुक्त, शहडोल संभाग के पत्र क्रमांक/संभा.उपा./स्टोर/17-18/500, दिनांक 12 जुलाई, 2017 द्वारा श्री पी.एन. चतुर्वेदी, सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, अनूपपुर को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। जारी कारण बताओ सूचना पत्र का उत्तर श्री पी.एन. चतुर्वेदी, सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, अनूपपुर द्वारा दिनांक 22.07.2017 को आयुक्त, शहडोल संभाग कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत उत्तर संतोषप्रद न होने के कारण पत्र क्रमांक 3635, दिनांक 12.9.2017 द्वारा आरोप पत्र जारी किया गया है।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च, 2018 सत्र में दिये गये आश्वासन
(फरवरी-मार्च, 2018 सत्र के स्थगित बैठक दिनांक : 28-03-2018 के आश्वासन)

नर्मदा घाटी विकास विभाग

दिनांक: 28-03-2018

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
535	परिवर्तित अतारंकित प्रश्न सं.97 (प्रश्न क्रं.5985) दि. 28-03-2018 (डॉ. मोहन यादव) (बैठक स्थगित - पटलित दिनांक : 25-06-2018)	नर्मदा-शिप्रा एवं नर्मदा-गंभीर लिंक परियोजना अंतर्गत शेष 5 ग्रामों के किसानों की भूमि का अस्थाई भू-अर्जन किया जाकर अवार्ड पारित किया जाना ।	शेष 5 ग्रामों के प्रकरण प्रक्रियाधीन हैं ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च, 2018 सत्र में दिये गये आश्वासन
(फरवरी-मार्च, 2018 सत्र के स्थगित बैठक दिनांक : 28-03-2018 के आश्वासन)

वाणिज्यिक कर विभाग

दिनांक: 28-03-2018

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
536	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.47 (प्रश्न क्रं.5320) दि. 28-03-2018 (श्रीमती इमरती देवी) (बैठक स्थगित - पटलित दिनांक : 25-06-2018)	मध्यप्रदेश राज्य खनिज विकास निगम भोपाल द्वारा 100.100 रूपयों के स्टाम्प पर रेत खदानों का अनुबंध कर मुद्रांक शुल्क कम लिये पर शेष मुद्रांक शुल्क की राशि वसूल की जाना ।	रेत खदानों के अनुबंध के प्रकरणों में कमी मुद्रांक शुल्क की वसूली हेतु प्रकरण दर्ज कर आदेश पारित किये गये हैं वसूली की प्रक्रिया प्रचलित है ।		
537	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.61 (प्रश्न क्रं.5698) दि. 28-03-2018 (श्री सुन्दरलाल तिवारी) (बैठक स्थगित - पटलित दिनांक : 25-06-2018)	रीवा संभाग के जिला रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर एवं उमरिया जिलों में स्थित स्टोरेज भाण्डागारों पर वीसेट कनेक्टिविटी नहीं कराये जाने से शर्तों के उल्लंघन के लिये प्रदाय संविदाकारों आसवकों के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना ।	वर्ष 2017-18 में स्टोरेज भाण्डागारों पर वीसेट कनेक्टिविटी नहीं कराये जाने से शर्तों के उल्लंघन के लिये प्रदाय संविदाकारों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किये जाने संबंधी कार्यवाही प्रचलन में है ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च, 2018 सत्र में दिये गये आश्वासन
(फरवरी-मार्च, 2018 सत्र के स्थगित बैठक दिनांक : 28-03-2018 के आश्वासन)

वित्त विभाग

दिनांक: 28-03-2018

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
538	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.57 (प्रश्न क्रं.5685) दि. 28-03-2018 (श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह) (बैठक स्थगित - पटलित दिनांक : 25-06-2018)	प्रदेश के लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की वेतन विसंगति को दूर किया जाना ।	जी हां । कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।		
539	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.86 (प्रश्न क्रं.5939) दि. 28-03-2018 (श्री मधु भगत) (बैठक स्थगित - पटलित दिनांक : 25-06-2018)	प्रश्न क्रमांक 557 दिनांक 28.02.2018 के संदर्भ में सहायक मानचित्रकार और सहायक वर्ग-2 के क्रमोन्नत वेतनमान में हुई त्रुटि का सुधार किया जाना ।	(1) जी हाँ । (2) मुख्य सचिव कार्यालय के पत्र दिनांक 06.02.2018 के बिन्दुओं का परीक्षण किया जा रहा है ।		
540	अतारांकित प्रश्न सं.64 (प्रश्न क्रं.5793) दि. 28-03-2018 (श्री के.पी. सिंह) (बैठक स्थगित - पटलित दिनांक : 25-06-2018)	म.प्र. शासन वित्त मंत्रालय एवं संचालक पेंशन कार्यालय द्वारा पारिवारिक पेंशन योजना में अपात्र व्यक्ति को स्वीकृति प्रदान कर लाखों रुपये की वित्तीय हानि पहुँचाने के संबंध में प्राप्त शिकायत में उल्लेखित बिन्दुओं की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना ।	(1) शिकायत पर संभागीय पेंशन अधिकारी भोपाल द्वारा इस संबंध में कार्यालय प्रमुख को कि पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी होता है, से बिन्दुवार प्रतिवेदन चाहा गया है, प्रतिवेदन अपेक्षित है । (2) प्रतिवेदन प्राप्त होने पर गुण-दोषों के आधार पर निर्णय लिया जाएगा ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च, 2018 सत्र में दिये गये आश्वासन
(फरवरी-मार्च, 2018 सत्र के स्थगित बैठक दिनांक : 28-03-2018 के आश्वासन)

सामान्य प्रशासन विभाग

दिनांक: 28-03-2018

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
541	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.32 (प्रश्न क्रं.4630) दि. 28-03-2018 (श्री मानवेन्द्र सिंह) (बैठक स्थगित - पटलित दिनांक : 25-06-2018)	प्रश्नकर्ता सदस्य के पत्र क्रमांक 1337, 1338 दिनांक 05.12.2017 द्वारा मा.मुख्यमंत्री/मुख्य सचिव म.प्र. शासन को एस.डी.एम. छतरपुर द्वारा नियम विरुद्ध आदेश पारित किये जाने के संबंध में लिखे गये पत्र के आधार पर प्रकरण की जांच एवं कार्यवाही।	राजस्व विभाग द्वारा कलेक्टर, छतरपुर से जांच प्रतिवेदन चाहा गया है।		
542	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.98 (प्रश्न क्रं.5987) दि. 28-03-2018 (डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय) (बैठक स्थगित - पटलित दिनांक : 25-06-2018)	रतलाम जिले के विधान सभा जावरा क्षेत्र अंतर्गत रोजाना से अरनियापीठा मंडी मार्ग 2. बरगढ़ फंटा से भैसाना फंटा फोरलेन मार्ग तक सड़क निर्माण कार्य हेतु मा.मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुसार कार्यवाही की जाना।	रोजाना से अरनियापीठा मंडी मार्ग 2. बरगढ़ फंटा से भैसाना फंटा फोरलेन मार्ग तक सड़क निर्माण कार्य हेतु घोषणा की गई थी, जिसका प्राक्कलन तैयार किया जाकर शासन के स्तर पर परीक्षणाधीन है।		